यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74-कांवली रोड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून** के माह 09.2016 से 10.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 23.11.2017 से 08.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. के. जोगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.09.2016 से 18.09.2016 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09.2011 से 08.2016 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त गढ़वाल सम्भाग आता है। गढ़वाल सम्भाग में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, परिवारों को वितरित किया जाता है, जो कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना (2408)		गैर- स्थापना (4408)		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2013-14	**222.94**	**211.80**	**56,947.56**	**56,741.17**	**57,170.50**	**56,952.97**	**---**	**217.53**
2014-15	**400.48**	**347.54**	**37,655.59**	**37,372.05**	**38,056.07**	**37,719.59**	**---**	**336.48**
2015-16	**344.17**	**341.16**	**62,529.00**	**60,382.06**	**62,873.17**	**60,723.22**	**---**	**2149.95**
2016-17	**425.90**	**402.94**	**77,511.40**	**72,011.40**	**77,937.30**	**72,414.34**	**---**	**5522.96**
2017-18 (till the month 10.2017)	**311.22**	**266.95**	**18,575.00**	**10,474.72**	**18,886.22**	**10,741.67**	**---**	**8144.55**

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			

अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

*. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
*. अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
*. संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
*. उपायुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
*. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
*. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, 74- कांवली रोड, देहरादून

*. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड, 74- कांवली रोड, देहरादून
*. मुख्य विपणन अधिकारी
*. उप-मुख्य विपणन अधिकारी
*. सम्भागीय विपणन अधिकारी
*. उप-सम्भागीय विपणन अधिकारी
*. सहायक लेखाधिकारी
*. लेखाकार

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2016 से 10.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी I यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10.2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-1 - ₹ 23.54 करोड़ के वैट का अनियमित भुगतान।

उत्तराखंड वैट अधिनियम के सेक्शन 4 (2) (a), अनुसूची-1 में वर्णित मद संख्या 27 के अनुसार सार्वजनिक वितरण पद्धति (Public Distribution System) के अंतर्गत विक्रय किए गए खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं पर (मिट्टी के तेल सहित), वैट से छूट प्रदान की गयी है।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 (अक्टूबर तक) भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण पद्धति के अंतर्गत ₹ 514.98 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न का क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष पाँच प्रतिशत की दर से अधिनियम के प्रविधान का उल्लंघन करते हुए ₹ 23.54 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया। इस प्रकार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान करते समय, वैट अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किए जाने के परिणामस्वरूप न कि भारतीय खाद्य निगम को ₹ 23.54 करोड़ का अनियमित एवं अतिरिक्त भुगतान किया गया बल्कि विभाग को उतनी ही धनराशि की आर्थिक क्षति पहुंची।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने उत्तर दिया कि इस संदर्भ में निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था, भविष्य में अधिनियम के प्राविधानों का पालन करते हुए भुगतान किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैट अधिनियम के सेक्शन 4 (2) (a), अनुसूची-1 में वर्णित मद संख्या 27 के अनुसार सार्वजनिक वितरण पद्धति (Public Distribution System) के अंतर्गत विक्रय किए गए खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं पर (मिट्टी के तेल सहित), वैट से छूट प्रदान की गयी है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम को तदनुसार ही भुगतान किया जाना चाहिऐ था।

अतः वैट अधिनियम के प्रविधानों का पालन न किए जाने के कारण विभाग को हुए रु 23.54 करोड़ आर्थिक क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-2 ₹ 13.69 करोड़ का परिहार्य एवं अनियमित व्यय।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश में वर्णित प्रविधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं (सहकारिता विभाग एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने पर अवशेष धान की मात्रा का क्रय कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेंट) के माध्यम से किया जाएगा। शासनादेश में यह भी प्रविधानित किया गया था कि उत्तराखंड राज्य की मंडियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान, अधिकृत कच्चा आढ़तिया के माध्यम से केंद्र प्रभारी वरिष्ठ विपणन निरीक्षक द्वारा क्रय किया जाएगा। आगे, कच्चा आढ़तिया को भुगतान हेतु बिल 9R में प्रस्तुत करना होगा तथा बिल के साथ कृषकों से धान की क्रय की पुष्टि हेतु 6 R की स्वप्रमाणित छायाप्रति, कृषक को किए गए भुगतान, मंडी शुल्क तथा व्यापार शुल्क के साक्ष्य संलग्न करने अनिवार्य होंगे।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना एवं अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कृषको से वर्ष 2013-14 में 30000 मीट्रिक टन तथा 2014-15 से 2017-18 तक प्रति वर्ष 1000 मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कोई क्रय नहीं किया गया, जबकि 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र क्रमशः 20%, 43% एवं 71% लक्ष्य प्राप्त किया गया। दूसरी ओर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय किए जाने हेतु 2014-15 में 50,000 मीट्रिक टन, 2015-16 में 66,000 मीट्रिक टन एवं 2016-17 में मीट्रिक टन 49,749 मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना की तुलना में क्रमशः 4900%, 6500% और 4900% अधिक था, एवं उस लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 44%, 63% एवं 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया।

उपरोक्त आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा धान क्रय में सीधे किसानों से क्रय करने के स्थान पर कच्चा आढ़तिया से क्रय को अधिक महत्व प्रदान किया गया। जैसा कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक किसानों की तुलना में कच्चा आढ़तिया से क्रय हेतु 4900 प्रतिशत से 6500 प्रतिशत तक अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए एवं तदनुसार क्रय किया गया। शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कमीशन एजेंट के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रमशः 1000, 797 एवं 572 मीट्रिक टन यानि कुल 2369 मीट्रिक टन धान का क्रय किया जाना चाहिए था। जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक उक्त मात्रा से 4665 प्रतिशत अधिक कुल 112886.629 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, जिस पर ₹ 174.76 करोड़ (रुपया 161.06 करोड़ समर्थन मूल्य एवं ₹ 13.69 करोड़ कमीशन एवं टैक्स) की धनराशि का व्यय किया गया।

आगे, रेंडम आधार पर कच्चा आढ़तिया के भुगतान देयक का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि बिल के साथ संलग्न किसी भी 6 R प्रपत्र पर किसान का पूरा पता एवं हस्ताक्षर नहीं पाये गए। जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि धान का क्रय कृषकों से किया गया, कृषकों को धान क्रय के बदले प्रदान की गयी धनराशि का कोई प्रमाण बिलों के साथ संलग्न नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त कच्चा आढ़तिया द्वारा वैट के भुगतान के साक्ष्य के रूप में पूर्व में किए गए वैट के भुगतान से संबन्धित विवरिणी की छायाप्रति संलग्न की गयी थी। इन तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किसानों से

किया गया, दूसरी ओर कच्चा आढ़तिया को क्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत वैट का भुगतान भी किया गया जबकि उसके द्वारा उक्त क्रय के सापेक्ष व्यापार कर विभाग को किए गए वैट के भुगतान से संबन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार कमीशन एजेंट को वैट के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 161.06 करोड़ का 5 प्रतिशत कुल ₹ 8.05 करोड़ का अदेय एवं अनियमित भुगतान किया गया। चूंकि कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय किए जाने से किसानों की तुलना में 8.5 % (2.5% मंडी टेक्स+1% कमीशन+5% वैट) अधिक व्यय होता है। अतः कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान क्रय किए जाने से कमीशन एवं टैक्स के रूप में ₹ 13.69 करोड़ का अधिक व्यय किया गया, जिसे न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सीधे किसानों से धान क्रय कर बचाया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में, कच्चा आढ़तिया के देयक के साथ संलग्न किसी भी 6 R प्रपत्र पर किसान का पूरा पता एवं हस्ताक्षर नहीं पाये जाने, किसानो को उनसे धान क्रय के बदले में कच्चा आढ़तिया द्वारा भुगतान की गयी धनराशि का कोई साक्ष्य संलग्न न पाये जाने के संबंध में इंगित किए जाने पर उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने उत्तर दिया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं कच्चा आढ़तिया द्वारा धान खरीद के समय विशेष रूप से उसी खरीद के सापेक्ष किए गए वैट के भुगतान का साक्ष्य संलग्न नहीं पाये जाने के संबंध में कहा कि भविष्य में कमीशन एजेंट से क्रय किए गए धान के सापेक्ष जमा कराये गए वैट का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख के अनुसार वैट के भुगतान का साक्ष्य संलग्न होने पर ही वैट का भुगतान किया जाना चाहिए था, एवं जहां तक किसानो की तुलना में कच्चा आढ़तिया से अधिक धान क्रय करने का प्रश्न है, विभाग द्वारा किसानो से क्रय करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जैसा की विभाग द्वारा न तो किसानो का डेटाबेस तैयार किया गया और न ही प्रदेश में धान की उपज का आकलन किया गया।

अतः विभाग द्वारा न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानो से धान क्रय करने में दिखाई गयी उदासीनता एवं क्रय नीति की उपेक्षा के कारण हुए ₹ 13.69 करोड़ के परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-3 : ठेकेदारों से टीडीएस की कटौती न किए जाने के कारण रु 1.50 करोड़ के राजस्व की क्षति।

वित्तीय अधिनियम, 2015 के संशोधन से पूर्व आयकर अधिनियम की धारा 194c (6) कहती है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के दौरान यदि ठेकेदार व्यवसाय के दौरान वाहन किराए पर लिए जाने हेतु भुगतान कर्ता को स्थायी लेखा संख्या (PAN), प्रदान करता है तो, भुगतान कर्ता द्वारा भुगतान के समय टीडीएस की कटौती नहीं कि जाएगी। आगे, वित्तीय अधिनियम, 2015 के 01-06-2015 से आयकर अधिनियम की धारा 194c (6) में किए गए संशोधन के अनुसार परिवाहक (Transporter) को किए जा रहे भुगतान के सापेक्ष टीडीएस की कटौती की जाएगी, जहाँ तक कि परिवाहक जो माल वाहनों को किराए पर दिये जाने के व्यवसाय में व्यस्त है, (अनुलग्नक-1) में भुगतान कर्ता को निम्न संदर्भ में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता:

a) कि पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय वह 10 ओर 10 से कम माल वांहनों का स्वामी था; और
b) अपना स्थायी लेखा संख्या प्रस्तुत कर्ता है।

आगे, परिपत्र के प्रस्तर 43.4 के अनुसार टीडीएस की कटौती से, यह छूट केवल तब लागू होगी जब कि परिवाहक अपने निजी वाहनों द्वारा किए गए ढुलान के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करता है। इस लिए यदि कोई परिवाहक ऐसे वाहन, जो उसके निजी नहीं थे, के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करता है तो वह टीडीएस की कटौती की छूट का हकदार नहीं होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 194c यदि ठेकेदार को एक बार में रु 30000 का भुगतान किया जाता है तो टीडीएस कि कटौती नहीं कि जाएगी एवं यदि सभी भुगतानों का कुल जोड़ 75000 से अधिक होता

है,(01-06-2016 से 100000) टीडीएस कि कटौती कि जाएगी। यदि भुगतान व्यक्ति विशेष अथवा हीनु अविभाज्य परिवार को किया जा रहा है तो टीडीएस की कटौती एक प्रतिशत की दर से की जाएगी एवं अन्य प्रकरणों में दो प्रतिशत की दर से की जाएगी। संभागीय खाद्य नियंत्रक के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जून 2015 से अक्टूबर 2017 तक परिवाहकों को 73.30 करोड़ का भुगतान किया गया। आगे, न तो ठेकेदारों से धारा 194c के अनुसार अनुलग्नक-1 में घोषणापत्र प्राप्त किया गया, न यह सुनिश्चित किया गया कि परिवाहक द्वारा जिन वाहनो के सापेक्ष भुगतान का दावा प्रस्तुत किया गया वे उसके निजी थे अथवा नहीं और न ही परिवाहकों को भुगतानित धनराशि रु 73.30 करोड़ के सापेक्ष लागू 2 प्रतिशत कि दर से रु 1.47 करोड़ टीडीएस की कटौती की गयी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक धान कुटाई ठेकेदारों को रु 1.44 करोड़ का भुगतान किया गया उसके सापेक्ष भी लागू 2 प्रतिशत कीदर से रु 2.88 लाख टीडीएस की कटौती नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर ठेकेदारों से धारा 194c के अनुसार अनुलग्नक-1 में घोषणापत्र लिए जाने एवं परिवाहक द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने कि जिन वाहनो के सापेक्ष भुगतान का दावा प्रस्तुत किया गया वे उसके निजी थे अथवा नहीं, सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने उत्तर दिया कि यह भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा, तथा टीडीएस कि कटौती न किए जाने के कारण संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध दायित्व निर्धारण कि कार्यवाही किए जाने के संबंध में उत्तर दिया कि समुचित कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त धान कुटाई ठेकेदारों से टीडीएस की कटौती न किए जाने के संबंध में उत्तर दिया की भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि भुगतान करने से पूर्व सभी लागू करों की कटौती सुनिश्चित की जाए।

इस प्रकार ठेकेदारों को भुगतान के समय आयकर अधिनियम के प्रविधानों की अनदेखी के कारण न कि ठेकेदारों को अदेय लाभ पहुंचा बल्कि शासन को रु 1.50 करोड़ के राजस्व कि क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर-1</u>:- रोकड़-बही का न तो अद्यतन रखा जाना एवं न ही ₹ 231.82 करोड़ की

व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, देहरादून की रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माह अक्तूबर 2016 एवं अंकगणतीय जांच हेतु जनवरी 2017 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल **₹ 1,23,28,26,997/-** + **1,08,53,89,036/- = रु 2,31,82,16,033/-** की आहरित सकल धनराशि (Gross Amount) को वर्ष 2010 से रोकड़-बही के नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने के कारण रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। साथ ही, Form BM-05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित भी नहीं किए गये थे। आगे, कार्यालय में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशियों को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में शासनादेशानुसार रोकड़-बही अद्यतन रखा जायेगा एवं भविष्य में शासनादेशानुसार रोकड़-बही अद्यतन कर संबन्धित प्रमाण पत्र कोषागार को प्रेषित किया जायेगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2010 से रोकड़-बही को नियमानुसार अद्यतन नहीं रखा गया था एवं साथ ही, शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः रोकड़-बही का अद्यतन न रखे जाने एवं ₹ 231.82 करोड़ की व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर- 1:- धनराशि ₹ 3.87 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री एवं कुल 69,823 अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड, 74– कांवली रोड, देहरादून की डेड-स्टाक अभिलेखों एवं वाहनो से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में

पाया गया कि दिनांक 15.01.2003 को धनराशि **₹ 3,86,824/-** में क्रय " एम्बेस्डर क्लासिक (UA07D7619)" वाहन 02 वर्ष से अधिक समय से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। वाहन 01 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी थी तथा वर्तमान में खराब था एवं मरम्मत योग्य भी नहीं थी। इकाई के अभिलेखों में पत्रांक- 103/ नजारत– वि. कार/ 2016-17 दिनांक- 18.11.2016 में उक्त वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुये उसका न्यूनतम मूल्य ₹ 26,000/- निर्धारित किया गया था एवं इकाई द्वारा कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून से नीलाम करने की अनुमति मांगी गई थी। दिनांक 18.11.2016 से लेखापरीक्षा अवधि के माह 10.2017 तक कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इकाई को नीलाम करने की अनुमति लम्बित थी। निष्प्रयोज्य सामग्रियों को और अधिक मूल्य ह्रास से बचाने के लिए समुचित नीलाम एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। आगे, वर्ष 2013-14 से लेखापरीक्षा अवधि के माह 10.2017 तक कुल 69,823 अनुपयोगी बोरें एकत्रित हुये थे। लेखापरीक्षा अवधि के माह 10.2017 तक न तो निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था एवं न ही इस हेतु किसी कमेटी का गठन ही किया गया था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए निष्प्रयोज्य वाहन के सम्बन्ध में कहा कि "*निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। नीलामी के पश्चात लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा*" एवं अनुपयोगी बोरों के सम्बन्ध में कहा कि "*उपर्युक्त बोरें 2013-14 से ही अनुपयोगी पड़े हुये हैं। निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किया गया है। उक्त सम्बन्ध में कमेटी का गठन कर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, उक्त सामग्रियों को और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था I

अत: धनराशि ₹ 3.87 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री एवं कुल 69,823 अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
10/2007- 03/2007 (Period)	1	1, 2, 3, 4 & 5	---	---
62/ 2011-12	1 & 2	1, 2 & 3	---	---
Ss/ AIR- 78/ 2016-17 (month 09.2011 to 08.2016)	---	1	1	1, 2, 3 & 4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

10/2007-03/2007 (Period)	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं.- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4 & 5; STAN सं. - NIL एवं TAN सं. - NIL	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	**---**
62/ 2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं.- 1 & 2; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं.- 1, 2 & 3; STAN सं. - NIL; एवं TAN सं. - NIL	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	**---**
Ss/ AIR- 78/ 2016-17 (month 09.2011 to 08.2016)	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- NIL; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1; STAN सं - 1; एवं TAN सं.- 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	**---**

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, (PCS)	सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढ़वाल सम्भाग, उत्तराखण्ड, 74- कांवली रोड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा. क्षे.